(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONALCAPITALTERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, LP. ESTATE: NEW DELHI-110002

No.F.3(67)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI//6/

Dated: 28/3/16

NOTIFICATION

No.F.3(67)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) and in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section(2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following officers for discharging of statutory duties under these Acts with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of State Tax and Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Acts namely:

S.N.	Name of the Officer	Date of Joining	Designation under Delhi Goods and Service Tax Act, 2017	Designation under Value Added Tax Act,
1.	Manoj Kaushik	09.03.2018		Assistant Value Added Tax Officer
2.	C. Hrangthang Vunga	01.02.2018	Goods and Service Tax Officer	Assistant Value Added Tax Officer

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(A. K\SINGH)
DEPUTY SECRETARY-VI (FINANCE)

No.F.3(67)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/ /6/

Dated: 28/3/18

Copy forwarded to the following for information and further necessary action:-

- The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (Extra Ordinary) in today's date.
- 2. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi
- 3. The Secretary to Finance Minister, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 4. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 5. The Pr. Secretary (L&J), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 6. The Commissioner (State Tax/ Value Added Tax), Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Officer Concerned through Commissioner, Trade & Taxes Department.
- 8. Guard File.

9/ Website

(A. K. SINGH)
DEPUTY SECRETARY-VI (FINANCE)

(दिल्ली राजपत्र के भाग 4 मेंअसाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजघानी क्षेत्र, दिल्लीसरकार विस्त (राजस्य-1) विभाग, दिल्लीसचिवालय, आइ,पी, इस्टेट:नई दिल्ली-110002

सं0फाo 3(67) / वित्त (राज.-1)/2017--18 / डीएस-VI/ /6/

दिनांक- 28/3/18

अधिसूचना

सं०एफ 3(67)/वित्त(राज.-1)/2017-18/- दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 3 एवं दिल्ली मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियमों के तहत आयुक्त, राज्य कर एवं मूल्य सर्वर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सहायता हेतु पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात:-

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पदनाम	मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत पदनाम
1	मनोज कौशिक	09.03.2018	वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2	सी हंगधांग वुंगा	01.02.2018	वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के नाम तथा उनके आदेश पर

उपसचिव-VI (वित्त)

सं0फा0 3(67) / दित्त (राज.-1)/2017-18 / डीएस-VI/ /6/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
- सचिव, वित्तमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय आई.पी. स्टेट, नई दिल्ली।
- निजी सहायक, नेता विपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5. प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय),राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय आई.पी. स्टेट,
- आयुक्त, (राज्य कर / मूल्य सर्वार्धित कर), व्यापार भवन, आई. पी. एस्टेट नई दिल्ली।
- संबंधित अधिकारी को आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग क`माध्यम से।
- गार्डफाइल
- वेबसाइट

उपसचिव-VI (वित्त)